

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं० ०२/२०२२-२३

कं० सं०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
28/2/23	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया बसिया शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री/श्रीमति गौरव कुमार चौधरी, पिता/पति अनील कुमार (चंदा मामा कलेक्शन), ग्राम कोनबीर नवाटोली थाना बसिया जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मां० 152645:00 रुपये बकाय दर्शाया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार श्री/श्रीमति गौरव कुमार चौधरी, पिता/पति अनील कुमार (चंदा मामा कलेक्शन), ग्राम कोनबीर नवाटोली थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया बसिया से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया बसिया के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी पत्र प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया बसिया से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित।  अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	